


संख्या: शिक्षा-एच (प्रा0) (6)3-1/2022-23(छा0)
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक

शिमला -171001



समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश।

विषय:-

पाठशाला में प्रवेश पर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने बारे दिशा-निर्देश।

महोदय,

विभिन्न राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत सत्र 2022-23 के लिये प्राप्त मांग के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि बहुत से विद्यार्थियों के मामलों में शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के आधार उपलब्ध नहीं है, न ही उनके व्यक्तिगत बैंक खाता संख्या उपलब्ध हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत से विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित होना पड़ा है।

सरकार के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार डीबीटी के माध्यम से सरकार की किसी भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आधार संख्या का होना अति आवश्यक है तथा लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही अंतरित की जानी होगी। इस हेतु संयुक्त बैंक खाता भी मान्य नहीं है।

अतः समस्त उप निदेशकों (प्रारम्भिक शिक्षा) को निर्देश दिये जाते हैं कि पाठशाला में विद्यार्थी के प्रवेश/admission के समय ही उसके आधार कार्ड तथा व्यक्तिगत बैंक खाते की छायाप्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करें ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित विभाग द्वारा प्रदत्त सभी लाभों का समुचित भुगतान किया जा सके। उक्त दिशा-निर्देशों को सभी अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई से निदेशालय को भी अवगत करवाएं।

उप निदेशक-एवं- नॉडल अधिकारी(छा0)
प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

Enclt No. EDN-4 (A-1) Scholarship / 2018-19 1616
010 ΔΔEE UNM

09/05/23

Forwarded in original to all the Principal/Headmaster/
Incharges of GSS/GHS/GMS, All BKO's for information
and necessary action.

Deputy Director of Elementary
Education Una, Dist. Una (H.P.)